रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235826
CG-DL-E-18052022-235826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 254] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

फा.सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी(रीसाइकिलडप्लास्टिक्स-एन).—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का मसौदा इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में (जिन्हें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा), विनियम 4 के उप-विनियम (4) के खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(ड.) जब भी खाद्य प्राधिकरण द्वारा मानक और दिशानिर्देश अधिसूचित किये जायेंगे, तब उनके अनुसार पुनर्नवीनीकरण पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) से बने उत्पादों का उपयोग, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, भंडारण, ले जाने या वितरण के लिए किया जा सकेगा। ऐसी पैकेजिंग सामग्री लागू होने वाले किसी भी अन्य राष्ट्रीय मानकों/विनियमों का भी पालन करेगी"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा/73/2022-23]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-95/ स्टैंडर्ड्स/पैकेजबंदी/एसपी(एलएंडसी/ए)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या फा.स. स्टैण्डर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-01, तारीख 25 जनवरी, 2022 द्वारा संसोधित किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Notification

New Delhi, the 17th May, 2022

F.No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N).—The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, in regulation 4, in sub-regulation (4), for clause (e) the following shall be substituted, namely, –

'(e) Products made of recycled polyethylene terephthalate (PET) may be used for packaging, storing, carrying or dispensing of food products as and when standards and guidelines are notified by the Food Authority. Such packaging materials shall also comply with any other national standards/regulations as applicable.'

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty/73/2022-23]

Note: The Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 1- 95/Stds/ Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018 and subsequently amended vide notification numbers F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-01, dated 25th January 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.18 15:55:32 +05'30'